Shri Nambiar: Whatever be the number. I have tried my best. Even after moving this Resolution, I went to Mr. Lal Bahadur Shastri. I said, I must be given some time for a patient representation of my case. He said, "you come to me, we will again discuss". Here it is not a question of Communists at all. They say these men are Communists. If you can bear with me, separately in the Chamber, I can show you every individual case and convince you that out of these 365, there will not be hardly more than half a dozen who are Members of the Communist party.

Mr. Deputy-Speaker: They say, 172

Shri Nambiar: No; there are 365.

Mr. Deputy-Speaker: The case started with 172 discharged.

Shri Nambiar: There are many other cases which do not come under their category. I have got a full list, I can give the list. It is not a question of bringing the Communist bogey everywhere. We will have to speak of the Communist bogey on every issue under the sun in India because on various issues we have difficulties. Whenever you have difficulties, there is no use saying there are the Communists. That will not be a solution of the problem. You will have to reconsider the question. I appeal to you once again. They are not going to accept my Resolution. They are going to vote it down. Let them vote it down. Any how let them carry this appeal from me to reconsider. The whole Opposition will be united in putting our case to them once again. With these words, I press my Resolution.

Mr. Deputy-Speaker: The question is:

> "This House is of opinion that the Safeguarding of National Security Rules, 1949 introduced in the Railways, Postal, Defence and all the other Central Government Services to discharge Government employees without recourse to normal procedure of disciplinary rules be cancelled forthwith and all those discharged or suspended under these rules be reinstated."

The motion was negatived.

RESOLUTION *RE* LEGISLATION ON UNTOUCHABILITY

श्रीमती मिनीमाता (बिलासपुर-दुर्ग-रायपुर—रक्षित-अनुसूचित जातियां) : मैं प्रस्ताव करती हूं :

> "इस सदन की राय है कि इस उद्देश्य से कि अनुसूचित जातियां सामाजिक, नागरिक तथा धार्मिक विषयों में उन्हीं अधिकारों का प्रभावी ढंग से उपभोग कर सकें जो अन्य लोगों को प्राप्त हैं। संसद् द्वारा तुरन्त ही एक ऐसा व्यापक विधान बनाया जाय जिसमें छूतछात बरतने पर दंड देने की व्यवस्था हो और जिसमें ऐसे अपराधों के मामले सुनने का अधिकार रखने वाले न्यायालयों द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया का तथा अपराधियों को दिये जाने वाले दंड का विशेष रूप से उल्लेख हो"

["This House is of opinion that with a view to enable Scheduled Castes to enjoy effectively the same rights in social, civil and religious matters as are enjoyed by others, a comprehensive law may be enacted forthwith by Parliament for the punishment of the practice of untouchability laying down in particular the procedure to be followed by the Courts having jurisdiction to try such offences and the penalty to be meted out to offenders."]

उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन को यह मालूम है कि समाज मनुष्यों का समुदाय है। उत्तर मध्यम काल में समाज के मुखियों ने पेशे के आधार पर कुछ वर्ण बनाये थे परन्तु कालान्तर में यह पौधा एक बड़ा झाड़ बन गया। इस तरह आप मुझ से सहमत जरूर होंगे कि जाति विभाजन मनुष्यों के द्वारा बनायी हुई चीज है। इसके विस्तृत रूप धारण करने से भारत को भूत में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, वर्तमान में क्या क्या करनी पड़ रही हैं और उससे भारत को क्या क्या क्षति होती जा रही है यह आप सब को मालूम है। स्वर्गीय राष्ट्र पिता महात्मा गांधी जी ने हम सब को एक साथ खाने, एक साथ रहने तथा मनष्य से मनुष्य को छूआ-छूत नहीं मानना चाहिए इस ओर बहुत

[श्रीमती मिनीमाता]

कुछ किया और उन्हें कहां तक सफलता मिली इस सदन को ज्ञात है। उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरह एक मां बाप के चार लड़के हैं और उनमें से किसी एक को केवल उसके किसी बात पर ग़ौर न कर अलग कर देने से यदि सब को नहीं तो उसकी मां को अवश्य पीड़ा होती है। ठीक इसी तरह हमारे अन्य हिन्दू भाई हमें अलग रखेंगे तो भारत मां को पीड़ा होगी और इससे वह क्षीण होती जाती है। हम एक भारत मां से सपूत हैं और सब को अपनी मां की पीड़ा दूर करने का प्रयास जरूर करना चाहिये। मैं मानती हूं कि भारत के संविधान के भाग ३ धारा १७ पर छूआछूत निवारण संविधान तैयार किया गया परन्तु यह व्यावहारिक रूप में अमल में नहीं लाया जाता। जिस तरह एक चोर को चोरी करने के अपराध में किस प्रकार की अदालत में उसकी चर्चा होगी और उसे कितने आर्थिक तथा शारीरिक दंड दिया जाता है इसका उल्लेख पूर्ण रूप से भारतीय कानून ताजीरात हिन्द में पाया जाता है। संसद जानती है कि हमारे नये संविधान के पहले भारत के कुछ राज्यों में छूआछूत निवारण कानून बनाये जा चुके हैं और किन्हीं किन्हीं प्रान्तों में संविधान आने के बाद बनाये गये हैं। ये सब एक से नहीं हैं। यदि इसमें वे कुछ हेर फेर करें संशोधन के रूप में तो उच्च न्यायालयों में उसकी मान्यता शायद नहीं होगी। अर्थात् भारत में एक विशेष विषय पर भिन्न भिन्न कानून बनाये गये हैं यह मेरी निगाहों से ठीक नहीं है। क्योंकि ये सब कानून बारंट केस नहीं हैं। इस कारण थानेदार इसको अमल में लाने में तनिक परवाह नहीं करते। इससे इस सदन से मेरा अनुरोध कि इसके द्वारा एक विस्तृत कानून बनना चाहिये जो सारे देश में लागू होना चाहिये ऐसे कानून को कौन अदालत सुनेगी और कितना शारीरिक तथा आर्थिक दंड अवहेलना करने वाले को मिलेगा इन सब बातों का उल्लेख हो आखिर में अब तो यह काम शुरू होना चाहिये। इस कारण हमारे थानेदार को इस क़ानून को अपनाने के लिये विशेष हिदायतें देनी चाहियें तथा वारंट केस बनाने के लिये आदेश देने चाहियें। ऐसा विधान बनाने से राज्य के ज़रिये से बहुत सा काम हो जाता है, इसकी गवाही इतिहास देता है। अध्यक्ष महोदय के ध्यान को मैं इस सिलसिले में लाना चाहती हूं कि छूआछूत के बारे में कई जगह मर्डर केसेज़ हो रहे हैं और हरिजन काश्तकार अपने घर से डर के मारे नहीं निकलते हैं। हम हरिजनों को गरमी के दिनों में कुएं से पानी भी नहीं भरने देते और पीने भी नहीं देते।

और भी कई कठिनाइयों को हम को सहन करना पड़ता है। क्या हम सदा के लिये ऐसे ही गिरे हुए ही रहेंगे या आगे हम को बढ़ने दिया जायेगा। हमारे विरोधी पार्टी वाले भाई देहातों में जाकर यह प्रोपैगेंडा करते हैं कि कांग्रेस सरकार तुम्हारा क्या कर रही है और क्या करेगी। वह कहते हैं कि तुम सब लोग बहुमत देकर कांग्रेस को अधिकार देते हो, और वह तुम हरिजनों को सदा ही नीचे दिखा रही है। यह सब विरोधी लोग जाकर प्रोपैगंडा करते हैं। इसलिये जनता बहुत दुःखित है और हम हरिजन अपना दुःख सदा आप के सामने लाते हैं पर हमारी सरकार हमारी तरफ़ ध्यान नहीं देती है। इसलिये ज़रा ध्यान देकर इस रिजोल्यूशन को पास कर के इसी सेशन में इस के अनुसार क़ानून पास करें।

हां, हम हरिजन एक भी कांग्रेस के खिलाफ़ नहीं हैं। पर हमारी दशा गिरती ही जा रही है। सरकार के खिलाफ़ तो हम हरिजन हैं ही नहीं, सदा उनके बन्धन में हैं।

जैसा कहती हैं वैसा ही करते हैं। हम तो कांग्रेस सरकार को कामधेनु गैया की तरह समझते हैं जिस को पकड़ कर हम हरिजन वैतरणी नदी पार करना चाहते हैं। पर कांग्रेस सरकार हम को बहुत ही गिराना चाहती है।

[SHRIMATI RENU CHAKRAVARTTY *in the Chair*]

Mr. Chairman: Resolution moved:

"This House is of opinion that with a view to enable scheduled Castes to enjoy effectively the same rights in social, civil and religious matters as are enjoyed by others, a comprehensive law may be enacted forthwith by Parliament for the punishment of the practice of untouchability laying down in particular the procedure to be followed by the Courts having jurisdiction to try such offences and the penalty to be meted out of offenders."

Now, there are a number of amendments.

Shri P. T. Chacko (Meenachil): Let us catch your eye.

Mr. Chairman: Let me first finish.

Of the amendments which have been sent in, there is one by Shri S. N. Das and Shri Radha Raman. That is in order.

Shri S. N. Das (Darbhanga Central): I beg to move:

That for the original Resolution, the following be substituted:

"This House is of opinion that a comprehensive law should soon be enacted to ensure that the practice of untouchability and the resultant disabilities are removed immediately leading to equal social status of all the citizens and bringing the offenders in this respect to book in an expeditious manner."

Mr. Chairman: Then, there is amendment No. 3 by Mr. B. S. Murthy. That, of course, is enlarging upon the original Resolution. He wants to include Scheduled Tribes and backward classes. I am afraid that is beyond the scope of this Resolution, and as such, that is out of order.

Does Shri Raghunath Singh want to move his amendment? He is not present.

Amendment No. 4 by Shri B. S. Murthy. Again, this wants to enlarge upon the original Resolution, and is therefore, out of order.

Amendment No. 5 by Shri P. N. Rajabhoj. The Resolution is only about untouchability. He wants that the Scheduled Tribes also be included. If that had not been included, it would have been in order.

Shri P. N. Rajabhoj (Sholapur—Reserved—Sch. Castes): You can put "Scheduled Castes".

Mr. Chairman: That is amending the amendment. I am afraid that cannot be allowed. He should have looked into it. Now, I shall call upon....

Shri B. S. Murthy (Eluru): You did not understand the purpose of my second amendment.

Mr. Chairman: The second amendment also says that there should be an Advisory Committee for the Scheduled Tribes, *i.e.*, that the original Resolution be expanded to include Scheduled Tribes. The Resolution deals only with untouchability, and the extreme form of the amendment could be to put in "Scheduled Castes" and not "Scheduled Tribes". As such, this is out of order.

Shri B. S. Murthy: May I submit that besides untouchability there are social disabilities that are always standing in the way of the uplift of the backward classes as well as tribal people.

Mr. Chairman: I understand his point, but that is not what he has said in the amendment. If he had said that, it would have been in order.

Shri B. S. Murthy: Please read the whole thing.

Mr. Chairman: I have read the whole thing. I am afraid it cannot be allowed. Now, I will first call upon Shri S. N. Das and Shri Radha Raman, and afterwards, others who catch my eye.

श्री० एस० एन० दास (दरभंगा मध्य): जो प्रस्ताव अभी सदन के सामने रखा गया है इस प्रस्ताव का महत्व इस सभा के सदस्यों से छिपा हुआ नहीं है और सरकार भी उसके महत्व से अपरिचित नहीं है। इस प्रस्ताव का आशय उन सभी विधान की धाराओं को कार्य रूप में लाने का है जिनके द्वारा संरक्षण या मौलिक अधिकार तथाकथित हरिजनों को दिये गये हैं। इस बात को इस संसद् के

[श्री एस० एन० दास]

सभी सदस्य मानते हैं कि हिन्दुस्तान में बहुत बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं जिन्हें सामाजिक अधिकार सभी नागरिकों को मिलने चाहियें वे उन को प्राप्त नहीं हैं। जब से हम लोग आजाद हो गये और हम ने अपने विधान का निर्माण कर लिया, उस समय से इस प्रश्न की ओर विशेष ध्यान दिया जाने लगा है, यद्यपि इस से पहले भी महात्मा गांधी के नेतृत्व में और उससे पहले भी हिन्दुस्तान में बहुत से सामाजिक सुधारक हुए हैं जिन्होंने इस विषय के महत्व की ओर हिन्दुस्तान की जनता का विशेष कर तथा कथित उच्च वर्ण के लोगों का ध्यान खींचा है। इस बात को हम सभी मानते हैं कि हिन्दुस्तान के अन्दर जो सामाजिक विषमता है उसकी जड़ में धर्म और जाति का स्थान है। हिन्दुस्तान के अन्दर जो विभिन्न धर्म के मानने वाले हैं उन में विभिन्न विचार और विभिन्न प्रकार की धारणाएं हैं। लेकिन हिन्दू धर्म के अन्दर किसी भी कारण से हो, इतिहास का पन्ना उलटने की जरूरत नहीं है, कि हिन्दुओं में सभी लोगों के साथ जैसा व्यवहार एक नागरिक को दूसरे नागरिक के साथ करना चाहिये वह सामाजिक तौर पर नहीं है। विधान के द्वारा हिन्दुस्तान के करोड़ों लोगों को बिना किसी भेद भाव के, हम ने मतदान का अधिकार दे दिया है। इससे हमारे देश में राजनीतिक न्याय कायम हो चुका है और यह कोई नहीं कह सकता कि राजनतिक रूप से हिन्दुस्तान में कोई नीचा या ऊंचा है।

लेकिन बावजूद इस बात के कि विधान में हमने मान लिया है कि हम राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय हर भारतवासी के लिए उपलब्ध करेंगे, फिर भी हम देखते हैं कि आज हिन्दुस्तान का जो समाज है, उस समाज में बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जिनको समान सामाजिक अधिकार नहीं मिले हुए हैं। माननीय सदस्य ने इस सदन के सामने जो प्रस्ताव रक्खा है मैं समझता हूं कि उस प्रस्ताव का मुख्य मतलब यही है कि हिन्दुस्तान के अन्दर एक ऐसा क़ानून बनाया जाय जिस से देश में अस्पृश्यता न रहे और सभी नागरिकों को समान सामाजिक अधिकार और स्थान प्राप्त हो। ऐसा व्यापक क़ानून बनाना चाहिए जिससे यह अधिकार उन्हें प्राप्त हों और उस क़ानून की अवहेलना करने वालों को उस क़ानून के द्वारा यथोचित सजा मिल सके, ताकि इस प्रकार की जो विषमता हमारे समाज के अन्दर है वह जल्द से जल्द दूर हो जाय। और यह बात भी ठीक है कि इस बारे में सरकार और हम संसद् के जो सदस्य हैं उनमें कोई मतभेद नहीं है, लेकिन इतना मानना पड़ेगा कि बावजूद इस बात के कि हमने विधान में इस बात को मान लिया है, हम व्यवहारिक रूप में अपने जीवन में और समाज के जीवन में उसको अमल में नहीं ला सके हैं। इसलिये जरूरत इस बात की है कि एक ऐसा क़ानून बनाया जाय जो व्यापक तौर पर सभी राज्यों में एक समान लागू हो और जो राज्य सरकारें आज इसकी तरफ़ पूरा ध्यान नहीं दे रही हैं, इस प्रकार का क़ानून बनने के बाद तमाम राज्य की सरकारें इस बात की ओर विशेष ध्यान दें। यह बात म मानता हूं कि देश की आज जैसी अवस्था है, उस अवस्था में सिर्फ क़ानून बनने से ही यह काम पूरी तौर पर होने वाला नहीं है। दोनों मोर्चों पर काम करने की जरूरत है। विधान बना कर या क़ानून बना कर बराबरी का अधिकार देकर उस पर जोर देना एक मोर्चा है। दूसरा मोर्चा यह है कि देश में जितनी भी सामाजिक स्थायें अथवा नागरिक हैं जो विश्वास करते हैं कि समाज के अन्दर सब को बराबर अधिकार मिलने चाहिये

और कुओं तालाबों आदि का सबके द्वारा समान रूप से इस्तेमाल होना चाहिए, वह सामाजिक संस्थाओं के द्वारा या व्यक्तिगत रूप से अपने अपने क्षेत्रों में इसके लिए प्रयत्न करें और प्रचार करें ताकि यह जो कलंक हमारे देश के अन्दर लगा हुआ है, वह मिट जाय और संसार के दूसरे देशों में जो बदनामी होती है, उससे हम बच जायें। इस बात को भी हमें क़बूल करना पड़ेगा कि जब हमारे देश के प्रतिनिधि अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं में जाते हैं और जब हम वर्ण और रंग की बुनियाद पर अफ़्रीका आदि देशों में भारतीयों के साथ जो भेदभाव की नीति बरती जाती है उसके विरुद्ध जब वे बोलने खड़े होते हैं, तो विदेशी प्रतिनिधि हमारे देश की ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि स्वयं हिन्दुस्तान में भी तो करोड़ों आदमी ऐसे बसते हैं जिनके साथ आज बराबरी का बर्ताव नहीं किया जाता और उस समय हमें उसका कुछ जवाब देते नहीं बन पड़ता और हमारा सिर लज्जा और शर्म से झुक जाता है, यह वास्तव में हमारे लिए बड़े लज्जा और शर्म का विषय है। हमारे देश की सरकार को चलाने वाले जो हमारे कर्णधार हैं, वह भी इस बात को समझते हैं; फिर भी जरूरत इस बात की है कि जल्द से जल्द एक ऐसा क़ानून बनाया जाय जिस के ज़रिए भारतीय संविधान में जो हमने मौलिक अधिकार व संरक्षण प्रदान किये हैं, उनको कार्य रूप में लाया जा सके। इसी बात को लेकर मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करने खड़ा हुआ हूं। मैं ने जो संशोधन पेश किया है उस संशोधन की ओर सभानेत्री जी मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं, इस प्रस्ताव में जो यह कहा गया है कि :

"This House is of opinion that with a view to enable Scheduled Castes to enjoy effectively the same rights in social, civil and religious matters....."

"Religious matters" अगर इसमें से हटा दिया जाय तो मैं सारे सदन से इस बात की सिफ़ारिश करूंगा कि इस प्रस्ताव को मंजूर करे और मुझे पूरी आशा है और विश्वास है कि इसको सरकार का भी समर्थन प्राप्त होगा। हिन्दू धर्म में वैसे तो इस बात का सिद्धान्त है कि हर हिन्दू धर्म को मानने वाले के साथ समान और बराबरी का बर्त्ताव किया जाना चाहिए लेकिन जहां तक राज्य और संसद् द्वारा क़ानून बनाने का सवाल है हम किसी धर्म के मानने वाले को मजबूर नहीं कर सकते हैं कि वह धर्म का किस तरह पालन करे। उनके धर्म के अन्दर हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते, इसलिए इस प्रस्ताव में धर्म के मुतालिक़ जो बातें कही गयी हैं, उनको हटा दिया जाय, तब मैं समझता हूं कि सरकार अथवा संसद् को इसे स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। हर एक धर्म का भिन्न-भिन्न रूप और व्यवहार होता है और मैं समझता हूं कि संसद् किसी भी धर्म के मानने वाले चाहे वह ग़लत तरीक़े से ही उसे क्यों न मानते हों, उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है इसलिए मैं समझता हूं कि जैसा कि हमने विधान में यह मान लिया है कि हिन्दुस्तान में जितने भी लोग बसते हैं और यहां के नागरिक हैं, उनमें किसी सामाजिक, राजनैतिक या आर्थिक बात को लेकर कोई भेद भाव नहीं किया जायगा, इसी को आधार मान कर हमें क़ानून बनाना चाहिए। जहां शिक्षा संस्थाओं में तथा कथित हरिजनों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उनकी सभी असुविधायें मिट गई हैं मैं आपको बतलाऊं कि आज एक नहीं सैकड़ों गांव ऐसे मौजूद हैं जहां पर हरिजनों को कुओं का पानी इस्तेमाल करने की स्वतन्त्रता नहीं दी जाती है और जब इस कुप्रथा को बन्द करने के लिये बहुत आग्रह किया जाता है तो यह कहा जाता है कि हम गांव में हरिजनों के लिये अलग कुएं बनवा देंगे आज के दिन भी हिन्दुस्तान के करोड़ों आदमियों को उनके उचित और न्यायसंगत मानवोचित

[श्री एस० एन० दास]

अधिकारों से वंचित रखना हमारे लिये बड़े कलंक की बात है। एक नहीं, दो नहीं, सैंकड़ों गांव हिन्दुस्तान में ऐसे मिलेंगे जहां पर आज भी हरिजनों के लिए कुएं से पानी पीने का इन्तजाम नहीं है, सरकार की तरफ से अथवा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड या म्यूनिसिपल कमेटियों की ओर से हर गांवों में कुएं नहीं बने हुए हैं और वहां व्यक्तिगत लोग स्वयं अपनी ओर से कुएं बनवाते हैं और फलस्वरूप हर एक नागरिक को उन कुंओं पर पूरा अधिकार नहीं होता है। इसलिए आज इस बात की बहुत जरूरत है कि उन स्थानों पर जहां सरकार द्वारा कुंए बनवाये जायें, वहाँ सामाजिक संस्थायें इस बात का प्रचार करें कि जो मौलिक अधिकार सभी नागरिकों को विधान के अन्दर मिले हुए हैं उन का उपयोग सब नागरिक समान रूप से बिना किसी भेद भाव के करें। केन्द्रीय सरकार की रिपोर्ट को देखने से ज्ञात होता है कि केन्द्रीय सरकार ने कई बार इस संसद् के सामने कहा है कि हम इस बात के ऊपर विचार कर रहे हैं लेकिन मालूम नहीं सरकार कब तक उस पर विचार करती रहेगी, मैं यह बात मानता हूं कि विभिन्न राज्यों में इस हेतु क़ानून भी बनाये गये हैं जिन में अस्पृश्यता को क़ानूनन अपराध ठहराया गया है, लेकिन अभी असुविधाओं को पूरे तौर पर नहीं दूर किया जा सका है। इस लिए इस बात की जरूरत है कि केन्द्रीय सरकार इस चीज़ को अपने हाथ में ले और एक आल इंडिया लेविल पर क़ानून बनाये। केन्द्रीय सरकार को यह काम अपने हाथ में लेना आवश्यक है ताकि यह काम सब जगह ठीक प्रकार से सम्पन्न किया जा सके। मैं समझता हूं कि मौलिक अधिकार जो हमने अपने विधान में तथाकथित हरिजन भाइयों के लिये रक्खे हैं, उनको कार्य रूप में परिणित करने के लिये अगर केन्द्रीय सरकार कोई क़ानून बनाये, तो उसका अच्छा असर देश पर पड़ने वाला है। इसलिए मैं इन बातों के साथ इस प्रस्ताव का अपने संशोधन के मुताबिक समर्थन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि माननीय मंत्री इस प्रस्ताव को संशोधित रूप में स्वीकार करेंगे और जल्द से जल्द दूसरे अधिवेशन में एक ऐसा विधेयक इस सभा के सामने रक्खेंगे ताकि देश के अन्दर यह जो विषमता का कलंक है, वह दूर हो जाय और आज हमारे करोड़ों हरिजन भाइयों के दिल में जो यह ख्याल है कि तथाकथित उच्च वर्ण के लोग उनके साथ उचित व्यवहार नहीं करते हैं, यह ख्याल उनके दिल से दूर हो जाय और देश के सब लोग एक साथ मिल कर बराबरी के दर्जे पर चल कर देश की तरक्की और नवनिर्माण के कार्य में जुट जायं। इसी आशा और विश्वास के साथ में इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि माननीय मन्त्री जी इस प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे।

Mr. Chairman: Amendment moved:

That for the original Resolution, the following be substituted:

"This House is of opinion that a comprehensive law should soon be enacted to ensure that the practice of untouchability and the resultant disabilities are removed immediately leading to equal social status of all the citzens and bringing the offenders in this respect to book in an expeditious manner."

I should like to say a few words. There is a very large section of poeple who want to participate in this debate, and I would like to call upon as many Members as possible. So I would request hon. Members, to speak for a short time each, so that we might get the largest participation.

Shri Barman (North Bengal—Reserved—Sch. Castes): May I submit, that this is a very important matter? Fortunately it has come before this august Parliament for the first time. So far as the Scheduled Castes

are concerned, we are very much concerned about this Resolution. In this debate, we would like to hear all parties and all the different sections of the House, and to know what their views are, so far as legislation by this Parliament is concerned. What I would submit is that, so long as the rules of debate are not infringed, you may kindly allow all Mebmers to speak, as we would like to have a thorough debate on this point.

Mr. Chairman: There is absolutely nothing preventing people from participating in this debate fully. But I am just requesting that as far as possible, hon. Members may try to keep their speeches short, so that we might get the veiws of all the sections of the House. I agree with the hon. Member.

Mr. Rajabhoj.

Shri Nanadas (Ongol—Reserved-Sch. Castes): May I make one submission?

Mr. Chairman: Please do not delay any more.

Shri Nanadas: I would like to make one suggestion.

Mr. Chairman: No more suggestions now. Mr. Rajabhoj.

श्री पी० एन० राजभोज (शोलापुर--रक्षित-अनुसूचित जातियां) : अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। मुझे आज यह देख कर बहुत प्रसन्नता और सन्तोष होता है कि एक कांग्रेसी हरिजन की तरफ से ऐसा प्रस्ताव आया, इस तरह का प्रस्ताव तो आज से बहुत पहले आना चाहिए था। आज हमारे विधान को बने हुए दो, तीन वर्ष व्यतीत हो गये, लेकिन यह नहीं मालूम कि उसमें जो हमारे लिये लिखा है, उस पर अमल कब होगा, सिर्फ रेज्यूलेशन पास कर देने से ही काम नहीं बनने वाला है, यह ठीक है कि यह जरूर पास होना चाहिये और हम लोगों ने भी कई बार सरकार का ध्यान दिलाया था, मिनिस्टर साहब के पास डेपुटेशन ले गये और उन से मिले और कहा कि इस प्रकार का सरकार को क़ानून शीघ्र बनाना चाहिए। यह तो सत्य है कि इस देश में स्वतन्त्रता आ गयी है, लेकिन हम लोगों को उस स्वतन्त्रता का तनिक भी आभास नहीं होता और हम उसी तरह परतन्त्रता में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, स्वतन्त्रता आने के पश्चात् हमारी दशा में कोई अच्छा सुधार नहीं हुआ है और अछूतों की आज देहातों में हालत बिल्कुल जानवरों कुत्ते, बिल्ली जैसी है। लोग कहते हैं कि कान्स्टीट्यूशन बन गया, एक दिन स्पीकर साहब ने मुझ से कहा कि हिन्दुस्तान में छूतछात का मामला चला गया, कान्स्टीट्यूशन बन गया। यह तो खाली बात की बात है। मैं कहना चाहता हूं कि जब तक इस के बारे में कोई क़ानून नहीं होता, जब तक इस के लिये क्रिमिनल अफेन्स नहीं बनाया जाता तब तक कांग्रेस और दूसरे लोगों का दिमाग ठीक नहीं होगा। तब तक हमारी उन्नति मुश्किल है। मैं तो कभी कभी बोलने के लिये खड़ा होता हूं। लेकिन तब भी जो सवर्ण हिन्दू हैं, कांग्रेस के लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, क्योंकि मैं उनको महत्व नहीं देना चाहता, लेकिन वह कहते हैं कि राजभोज साहब हर वक्त पोलिटिकल प्रोपैगेंडा करते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि यह एक बीमारी है, जो तुम लोगों ने इतने हज़ारों वर्षों से अछूतों को दबाया, गिराया, उस पाप को धोने के लिये यह जरूरी है उस को बदला जाय। जब तक यह पाप खत्म नहीं होगा तब तक हम लोगों को इस के लिये लड़ना ही पड़ेगा। पंडित नेहरू जी कहते हैं कि साउथ अफ्रीका में क्या हो रहा है, वहां के हिन्दुस्तानियों पर जुल्म हो रहा है। लेकिन मुझे कहना यह है कि तुम हिन्दुस्तान को तो देखो, साउथ अफ्रीका यहीं हो रहा है। आज आप लम्बी चौड़ी इन्टरनेशनल बातें करते हैं, लेकिन इस देश में गांव गांव में देहातों देहातों में आप को साउथ अफ्रीका देखने को मिलेगा। आज हिन्दुस्तान के पांच छः करोड़ अछूतों की जो दशा है, उन की आर्थिक दशा, उन की सामाजिक

[श्री पी० एन० राजभोज]

दशा, और उन की राजनैतिक दशा हिन्दुस्तान में सब से खराब है। मैं आप को अपने बम्बई प्रान्त की एक मिसाल बताता हूं। एक गांव में एक तहसीलदार चला जाता है, और उस तहसीलदार ने वहां के एक कामगार से कहा कि तुम जहां कहीं मुझे मिलो, वहां नमस्कार करो। उस कामगार ने कहा कि जब आफिस में मैं ड्यूटी पर होऊंगा तब आप को जरूर नमस्कार करूंगा। कहने लगे, नहीं नहीं, जहां मैं जाऊंगा वहां नमस्ते करना होगा। एक दिन तहसीलदार साहब गांव के बाहर पाखाने गये हुये थे, वहां जाकर बैठे तो वह कामगार जो अछूत था वहां गया और नमस्कार किया। तहसीलदार साहब ने पूछा यहां क्यों आया, तो उसने जवाब दिया कि आप ही ने तो कहा था कि जहां मिलना वहां नमस्कार करना। यह तो हालत है और अन्य प्रकार की हालत थी हमारे बम्बई के देहातों में रहने वालों की। अछूत बिल्कुल गुलाम हैं और इस गुलामी को नष्ट करने के लिये कोई प्रोग्राम नहीं है। पंचवर्षीय योजन बन गई, करोड़ों रुपये की सकीमें उस में बता दी गईं। लेकिन अछूतों की आर्थिक दशा को सुधारने के लिये अछूतों को छूआछूत को मिटाने के लिये कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं जिससे हम लोग हिन्दुस्तान में आजादी से रह सकें। यहां के सामाजिक जीवन में हम लोगों की स्थिति इतनी खराब है, इतनी गिरी हुई है कि महात्मा जी ने खुद मुझे एक खत में लिखा था अछूतों के बारे में कि चाहे मैं और अन्य सवर्ण हिन्दू सेवा करते करते मर जायें लेकिन अछूतों की सेवायें कभी खत्म नहीं हो सकतीं। मेरे पास खत इस समय नहीं हैं, नहीं तो मैं पढ़ कर इस को सुनाता। हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने अपना जीवन उन्हीं के कार्य के लिये खर्च कर दिया, गांधी जी ने भी आवाज उठाई है। लेकिन मैं जानता हूं कि आवाज उठती है लेकिन उस पर अमल नहीं किया जाता है। हमारे अफसर सब तरह की बातें सुन लेते हैं, लेकिन अमल में नहीं लाते, इस वास्ते मेरी प्रार्थना यह है कि जो अछूतों का आर्थिक सवाल है, उनके छूतछात का मामला है, उनको सुधारने के लिये कानून की आवश्यकता है। हम नहीं चाहते हैं कि वह लोग हमेशा अछूत बने रहें। हम लोगों का समानता का अधिकार है, जैसा कान्स्टीट्यूशन में लिखा है कि सब को बराबरी का अधिकार है, वह हम को मिलना चाहिये। हमारी नौकरी के बारे में, हमारी आर्थिक दशा के सुधारन के बारे में और हम लोग जो देहातों में बिल्कुल गिरी हुई स्थिति में हैं उन को उठाने के बारे में फौरन विचार होना चाहिये और इन सब को ठीक करने के लिये हमें फ्री लीगल एड मिलनी चाहिये। देहातों में अछूतों की आर्थिक दशा इतनी खराब है कि

13 Noon

उनको भर पेट अनाज नहीं मिलता, किसी के पास कपड़ा नहीं, किसी के पास मकान नहीं। दिल्ली में इतने फारेनर्स आते हैं वह लोग इसको देखेंगे तो कहेंगे कि यह देश आजाद है या अभी तक पराधीन है? मैं तो कहता हूं कि देश आजाद हो गया, ठीक हुआ, मैं इस से नाराज नहीं, लेकिन साथ ही हिन्दुस्तान में हम लोगों की भी स्वतन्त्रता देने की पूरी तरह से कोशिश करनी चाहिये। स्वामी दयानन्द जी, स्वामी श्रद्धानन्द जी म० फुले, सावरकर कै० कोल्हापुर छत्रपति, बड़ौदा गायकवाड महाराजा, और हमारी पार्टी के लीडरों ने कुछ न कुछ कोशिश की है और अब भी कर रहे हैं। लेकिन जब हमारी तरफ से आवाज उठती है, तमाम विरोधी पार्टी की तरफ से जब मांग की जाती है तो सरकार उस पर कुछ ध्यान नहीं देती। जब कभी हम कुछ कहते हैं तो वह होम डिपार्टमेंट के पास जाता है,

उसके बाद सेक्रेटरी के पास जाता है और वहां से निगेटिव रिप्लाई आ जाता है। हम लोग मिनिस्टर से मिलते हैं तो वह कहते हैं कि बड़ा अच्छा काम है, हम इसको देखेंगे कि क्या किया जा सकता है। लेकिन सेक्रेटरी के पास जाता है तो उसका निगेटिव रिप्लाई ही मिलता है। नौकरियों के बारे में जब कलेक्टर्स, डिप्टी कलेक्टर्स, तहसीलदारों के पास जब हम जाते हैं, तो वे ध्यान नहीं देते और भी कास्ट रेस्ट्रिक्शन रहते हैं। कोई सफेद टोपी वाला गया तो उसका काम जल्दी हो जायेगा, लेकिन अगर कोई काला टोप वाला, सूट बूट में होगा तो कहेंगे कि अरे, आप तो अम्बेडकर पार्टी के आदमी हैं, (*Interruption*). इस तरह के डिस्टिंग्शन्स जो हमारी अथारिटीज हैं उनके दिमाग में हैं। इसी लिये मैं कहता हूं कि वह देश के सच्चे नागरिक नहीं हैं। वह तो अपने देश के साथ बेईमानी करते हैं। जो सरकारी नौकर हैं उन के दिमाग में तो यह होना चाहिये कि अछूत लोग भी हमारे भाई हैं, हमारे देश के लोग हैं, इन का उद्धार ही दृष्टियों से होना चाहिये। हम को सब प्रकार का छूतछात खत्म करना चाहिये। लेकिन आज कल हालत यह है कि: रघुपति राघव राजा राम, बिरला टाटा सब एकहि नाम, सबको परमिट दे भगवान् यह हो रहा है क्या यही अछूतों का उद्धार हो रहा है। जब कोई बोलने के लिये खड़ा होता है लोगों को बड़ा गुस्सा आता है, कहते हैं कि राजभोज बड़ा खतरनाक है। यहां नान वायोलेन्स, नान वायोलेन्स की बहुत आवाज सुनाई पड़ती है, लेकिन अभी जब हमारी देवी जी बोलने के लिये खड़ी हुईं तो एक सवर्ण हिन्दू आदमी धीरे से कहता है कि कांग्रेस के खिलाफ मत बोलो। अगर यही था तो यह रेज्योल्यूशन क्यों लाने दिया? जब कांग्रेस के खिलाफ रेजोल्यूशन लाये हो तो देवी जी तो बेचारी सद्भावना से लाई हैं, पर आप क्यों उन को बोलने से रोकते हैं? मैं उन का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन उनके पास एक सहाब बैठे हैं वह कहते हैं ऐसे बोलो। जब तुम्हारी ऐसी प्रवृत्ति है तब कैसे काम चल सकता है। जो हमारे नौजवान भाई हैं, जो हरिजन भाई हैं उनको अब पता हो गया है और अब तुम्हारे हाथ में वह नहीं रहेंगे। उन लोगों में एक ऐसी जाग्रति पैदा हो गई है कि आज तो आप के हाथ में ७२ हरिजन हैं, लेकिन पांच वर्ष अब खत्म होने वाले हैं, पांच वर्ष के बाद तुम लोगों को कोई नहीं पूछेगा। क्योंकि जितने तुम लोग आये हो वह हिन्दू के नाम से आये हो। डा० अम्बेडकर ने कान्स्टिट्यूशन बनाया, उसी अम्बेडकर को गिराने के लिये हिन्दू लोगों ने कोशिश की। रघुपति राघव राजाराम बोलने वाले लोग जो हैं, गांधी जी का नाम लेने वाले जो लोग हैं उन में बड़ी गन्दगी है! बगल में छुरी और मुंह में राम है। यह हालत हो रही है, उन का दिल सच्चा नहीं है। मैं चाहता हूं कि तुम सच्चे दिल से काम करो। आज जिन हरिजनों को आप ने अपने साथ पकड़ रक्खा है, जो कांग्रेस के हरिजन हैं वही आवाज उठायेंगे। सभानेत्री जी, जब मैं बोलने लगता हूं तभी घंटी बज जाती है। यह क्या है? मैं जानता हूं कि मैं माइनारिटी में हूं इसलिये यह किया जाता है, लेकिन अगर आप आज्ञा देंगी तो मैं कुछ सजेशनन्स रक्खूंगा।

Mr. Chairman: Why are you wasting your time? ? दो तीन मिनट में सजेशनन्स दे दीजिये।

श्री पी० एन० राजभोज: जब मैं बोलता हूं तो बहुत से मेम्बर बिल्ली की तरह चूं चूं करते हैं। मेरी प्रार्थना है सभापति महोदय कि मेरे कुछ पाइंट्स हैं.....

Mr. Chairman: Order, order. I think we should allow the non. Member to proceed.

Shri Namdhari (Fazilka-Sirsa): If the hon. Member wants to proceed uninterrupted he should not talk like this.

Mr. Chairman: The hon. Member will please speak in order.

श्री पी० एन० राजभोज: यह जो नामधारी है यह एक बड़ा जमींदार है। क्या इसके भी एक दिल है।

Shri Bhagwat Jha (Purnea *cum* Santal Parganas): On a point of order; may I know if the hon. Member can speak. *'Tum nahin janta hai'*. I want to know whether it is parliamentary to say, *'Namdhari ek aisa admi hai'*? He does not know what is parliamentary and what is not. I do not want the hon. Member to speak in that tone.

Mr. Chairman: I should think the hon. Member should not use the word, *'Tum'*; he should use the word *'Ap'*.

श्री पी० एन० राजभोज: मेरी मातृभाषा हिन्दी नहीं है। मैं यह कह रहा था कि यह जो दाढ़ी वाले नामधारी साहब हैं वह एक जमींदार हैं जो कि हरिजनों की जड़े काटने वाले हैं। यह अंधेर नगरी और चौपट राज्य है। ऐसे लोग हरिजनों को बरबाद कर रहे हैं। मेरा कहना यह है कि जब तक हमारा शिड्यूल्ड कास्ट का अफसर नहीं होगा तब तक हमारा काम नहीं होगा। काका कालेलकर को शिड्यूल्ड कास्ट कमीशन का चेयरमैन बनाया गया है। शिड्यूल्ड कास्ट वालों के लिये तो किसी शिड्यूल्ड कास्ट के अफसर को रखना चाहिये था। आप उनकी आर्थिक कठिनाइयों को दूर कीजिये। उनको नौकरी दिलाने का प्रयत्न करना चाहिये। पब्लिक सर्विस कमीशन में एक शिड्यूल्ड कास्ट का मेम्बर होना चाहिये। जब हम लोग कुछ बोलते हैं तो हिन्दू लोग कहते हैं कि हम उनके शास्त्रों के विरुद्ध बोलते हैं। हम लोगों को जब नौकरी देने की बात आती है तो अफसर लोग ऊपर नीचे देखते हैं और हमारे साथ अन्याय होता है। मैं गवर्नमेंट से अपील करना चाहता हूं कि जब तक वह हमारे लिये प्रयत्न नहीं करेगी तब तक हमारा उद्धार नहीं हो सकता। हम लोकतन्त्र से काम करना चाहते हैं। अभी तक हम कम्युनिस्ट नहीं बने हैं। जब हम कम्युनिस्ट बन जायेंगे तो तुम लोगों को यहां बैठना मुश्किल हो जायगा। हम लोकतन्त्र को मानते हैं। लेकिन जो काम हो वह जल्दी होना चाहिये यह मेरी अपील है।

श्री पी० एल० बारुपाल (गंगानगर झुझनूं-रक्षित–अनुसूचित जातियां): सभापति महोदय, सदन के सामने जो हरिजन अयोग्यता निवारण का प्रस्ताव है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। आज भारत को स्वतंत्र हुए करीबन ६ साल हो गए हैं और जो हमारा संविधान बना है उसके अन्दर भी ऐसी व्यवस्था की गयी है कि हरिजनों को बराबर का अधिकार दिया जाय। लेकिन हमें दुःख के साथ कहना पड़ता है कि वह कानून सिर्फ तिजोरियों के अन्दर पड़ा हुआ है। आज हमारी अवस्था में कोई फर्क नहीं पड़ा है। मैं आपको बताऊं कि आज हम इस स्वतन्त्र भारत में एक नारकीय जीवन बिता रहे हैं, नर्क कुण्ड के कीड़ों का सा जीवन बिता रहे हैं। कहने के लिये तो हमारी सरकार बहुत कुछ कहती है, बड़े बड़े डिपार्टमेंट भी खोले हैं लेकिन जो पैसा उन डिपार्टमेंट्स पर खर्च होता है वह हरिजनों के पास नहीं पहुंचता है। जो अधिकारी हैं वह अपने बड़े बड़े टी० ए० बिल्स बना देते हैं और सारा रुपया उसमें चला जाता है। केवल नाम के लिये यह कहा जाता है कि हम तुम्हारे लिये ये कर रहे हैं वह कर रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि आज भी हमारी अवस्था ज्यों की त्यों बनी हुई है। मैं तो यहां तक कहने के लिये तैयार हूं कि पहले से भी हालत खराब हो गयी है। आज हमारे ऊपर गांवों म वह जुल्म हो रहे हैं जो पहले कभी नहीं हुए थ।

हरिजनों के अपने कुएं नहीं हैं । जब वह कुओं पर पानी भरने जाते हैं तो उनको उनके पास आने नहीं दिया जाता । उनको गड्ढों का पानी पीने को मिलता है । हरिजनों के कुंओं के अन्दर जानवरों की हड्डियां डाल दी जाती हैं । सारी बातें तो मैं आपको नहीं बता सकता । अभी २३ सितम्बर को मैं बीकानेर गया था एक सिनेमा में जो कि सरकारी है । एक मित्र श्री धर्मपाल जी एम० एल० ए० राजस्थान के थे । हमने चाय का एक गिलास मांगा और जब चाय पीकर हम गिलास वापस देने लगे तो उन गिलासों को ठुकरा दिया गया । हम से कहा गया कि अगर तुम एम० पी० हो तो दिल्ली में हो वहां पर जो चाहो सो करना, यहां पर तो बीकानेर है । यहां पर यह व्यवस्था नहीं है । जबकि एक एम० पी० का यह हाल है तो छोटे लोगों का क्या हाल होता होगा यह आप अनुमान कर सकते हैं । मेरे कहने का मतलब यह है कि हरजिनों को मंदिरों व होटलों में नहीं जाने दिया जाता, पानी नहीं भरने दिया जाता, नाई उनकी हजामत नहीं बनाते, धोबी कपड़े नहीं धोते, कुओं पर और जो भी सामाजिक अधिकार हैं उससे हरिजन वंचित हैं । हरिजनों में उठने की भावना नहीं रही है, उनका जीवन मृतप्राय सा है, उनमें कोई ऐसी भावना नहीं है कि वह अपने आप को उठा सकें, वह बुराइयों के शिकार होते जा रहे हैं । वह समाज से हमेशा दूर रहे हैं और समाज ने हमेशा उनका बहिष्कार किया है । अगर आप हमें सहूलियतें दे रहे हैं तो यह कोई हमारे साथ दया नहीं है । अगर कोई समाज किसी व्यक्ति को पंगु बना दे, उसके हाथ पैर तोड़ दे और फिर मरहम पट्टी करे तो यह दया नहीं है, यह तो पाप का प्रायश्चित् है । हम को हिन्दू समाज ने हमेशा दबाया है और कुचला है । इसलिये अब वह जो भी सहूलियतें हम को दें वह थोड़ी हैं । हम को स्वतन्त्र हुए पांच साल से ज्यादा हो चुके हैं । हम से कहा जाता है कि दस बरस के अन्दर सब के समान अधिकार हो जायेंगे । मैं नहीं समझ सकता कि पांच साल के अन्दर आप यह कैसे कर सकेंगे । पांच वर्ष से ज्यादा तो बीत गए हमारे जो बड़े बड़े कांग्रेस के भक्त बने हुए हैं पूज्य बापू का गीत गाते हैं, और जो बड़े बड़े पदों पर हैं उनका भी हृदय परिवर्तन नहीं हुआ है । वह भी हरिजनों के हाथ का पानी पीना पसन्द नहीं करते हैं । यह बड़ी लज्जा की बात है । ऐसे लोगों को तो संस्था से निकाल देना चाहिए । अगर सरकारी कर्मचारी हैं तो नौकरी से हटा दिया जाये इसी प्रकार से हम हरिजनों की संख्या की बात है । अगर ईमानदारी से देखा जाय तो हिन्दुस्तान में हरिजनों की संख्या दस करोड़ से कम नहीं है । लेकिन बहुतों से कह दिया जाता है कि तुम शिड्यूल्ड कास्ट में नहीं हो । इस तरह से उनकी संख्या कम करके उनको वंचित किया जाता है । इसका मतलब तो यह है कि यह एक चाल है और यह इसलिए चली जाती है कि उनके ऊपर ज्यादा पैसा न खर्च करना पड़े । हरिजनों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है जैसे कि एक पत्थर की मूर्ति के आगे भोजन रख कर उठा लिया जाता है और उसको अंगूठा दिखा दिया जाता है । इसी प्रकार हमारे नाम से यह भक्त फायदा उठाते हैं । आज हरिजनों के साथ यही बरताव हो रहा है । अगर गवर्नमेंट को वास्तव में ईमानदारी से हरिजनों की उन्नति करनी है तो उनको शिड्यूल्ड कास्ट वालों के लिये एक केन्द्रीय कानून बनाना चाहिये और जो उसकी अवहेलना करे उसको सख्त सजा देनी चाहिए और जो कर्मचारी इस काम को करने में आनाकानी करें उनको मुअत्तिल कर दिया जाय । और

[श्री पी० एल० बारुपाल]

सजा दी जाये । इसी प्रकार का कानून पास करें जो देश व्यापी हो। इसकी क्या धारायें होनी चाहियें यह दूसरे बोलने वाले बतायेंगे। मैं इतना और कहना चाहता हूं कि राजस्थान में बीकानेर व जोधपुर का ऐसा इलाका है कि जहां पर जो बलाई हैं, मेघवाल भांभीं वगैरह है वह सब चमार हैं लेकिन उनको शिड्यूल्ड कास्ट का नहीं माना जाता। अगर उनको शिड्यूल्ड कास्ट का गिना जायगा तो सरकार को उनके बच्चों को वजीफा देना पड़ेगा उनके बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा और उनके लिये सीटें रिजर्व करनी पड़ेंगी और उनको सहूलियतें देनी पड़ें इसलिये इस काम में आना कानी की जाती है । उनको नौकरियां नहीं दी जातीं हैं। अगर वह बेचारे किसी की सिफारिश से या लड़ झगड़ कर पहुंच जाते हैं तो जो लोग ऊंचे अधिकारी होते हैं वह उनको तंग करते हैं और उनको अनेक यातनायें देते हैं और उनके विरुद्ध षड्यन्त्र रचते हैं और उसको ऐसी मुश्किल में डाल देते हैं कि उसको तंग आकर नौकरी छोड़ आना पड़ता है । सच्ची घटना है–एक हरिजन नौकरी करने गया। पहले तो उसको लिया नहीं गया और कहा गया कि तुम शिड्यूल्ड कास्ट का सरटीफिकेट लाओ । जब उसने सर्टीफिकेट दिया तो नौकरी मिली । लेकिन उससे कहा गया कि तुमको इस जगह पर नहीं रखा जा सकता क्योंकि तुम हरिजन हो कोई तुम्हारे हाथ का पानी नहीं पीता । जब उसने शिकायत की और उसकी जांच हुई तो उससे कहा गया कि तुम झूठ मूठ यह कह दो कि ऐसी बात नहीं हुई। जब उसने दस्तखत करने से इंकार कर दिया तो मारने के लिये पिस्तौल ले कर उस के सामने आया कि तुम को मार दूंगा । मैं तो इसका सबूत दे सकता हूं और बता सकता हूं कि कैसी यह बात है । लेकिन कुछ होता नहीं कौन सुनते हैं इसमें आप परिवर्तन कीजिये । समाज के हृदय बदलने की बात कही जाती है हिन्दू समाज के हृदय नहीं है। उनका हृदय पत्थर है । अगर हृदय होता तो कितनी सदियों से हरिजन आपकी सेवा करते आये हैं, आप ने उन के लिये क्या किया । आप के बच्चे सर्दी के दिनों में ऐश आराम करते हैं । आप के बच्चे गदेलों पर सोते रहते हैं । हमारे पास कोई अलार्म करने नहीं होता, कोई व्हिसल नहीं होती, कोई जगाने नहीं आता, पर ठिठुरती हुई सर्दी में हम और हमारी बहनें और माताएं उठती हैं और आप का मैला उठाने जाती हैं। भला बताइये कि इससे ज्यादा क्या सेवायें हो सकती हैं।

तो सभापति महोदया, ऐसी हमारी हालत है। आप देखें कि जो परिश्रम करते हैं वह नीच और जो मांग कर खाए निकम्मे, ऐश आराम में पड़े सोते रहते हैं वह ऊंचे । जो अच्छा काम करे वह नीचा और जो बुरा काक करे वह ऊंचा । आप ही इस में इंसाफ़ कीजिये कि यह हमारे साथ क्या हो रहा है । (इस समय घंटी बजी ।) तो मुझे कहना तो बहुत था। लेकिन मेरे दूसरे हरिजन भाई भी बहुत हैं, उनको भी बोलना है । इस प्रस्ताव में भी हमारे साथ एक चाल चली जा रही है कि इस को विदड्रा कर लिया जाय। पर यह नहीं होना चाहिये और आप इस प्रस्ताव को निर्विरोध पास करियेगा । अब मैं अधिक नहीं कहता । मुझे पूर्ण आशा है कि सदन इसे पास करेगा।

Shri B. S. Murthy: When I look at those Treasury benches, I see the amount of interest which the Congress Government is taking in Harijan uplift. There is only one solitary representative of the Government. I pity him. I also thank him.

An Hon. Member: He represents the Government.

Shri B. S. Murthy: Government is represented in the woods outside.

I want to ask one straight question. Does the Government think that the Harijan problem can be relegated to the future? Has it forgotten that Mahatma Gandhi staked his life to find a solution for this problem? Is it oblivious of the potentialities of the strength of the Harijan problem? Does it want a revolution in this country? Does it want the Harijans to revolt against this apathy? The Harijan youth today is having a volcano in his heart, and that volcano will burst any time. So, please do think seriously of this problem. We are not asking for crores of rupees. We are not asking you to come and serve us in any political field. We want a comprehensive legislation to fulfil the assurance you have given to us in the Constitution. You have said there that untouchability will be removed lock, stock and barrel. So many years have passed. Where is the comprehensive legislation? Mr. Pannalal has just given you an instance of even an M.L.A. and an M.P. being subjected to inhuman treatment by some of the caste Hindus in the *mofussil* districts. Please recall to mind a recent happening in Hyderabad, where a Minister belonging to the Harijan community wanted to enter the temple, and the priest locked the temple, put the key somewhere and walked away. He did not want the Harijan Minister to enter the temple. The Minister had some courage and broke open the doors and performed *puja* after entering the temple. I do not know whether the god was there or whether the *pujari* had taken the god also with him. You may laugh, but these things are making Harijans more and more bitter. Let this bitterness not turn into rage.

The Resolution under consideration makes a simple request, namely, a comprehensive law for the punishment of the practice of untouchability. Do you want untouchability to live? Perhaps, you do. Gandhiji said, "If you want me to live, untouchability must die; if you want untouchability to live, I must die." You have killed Gandhiji; therefore, untouchability seems to be having its own day. For God's sake, open your hearts. Think of the problem. It is not merely one that concerns the Harijans. It concerns the safety, security, progress and advancement of India as a whole. It is not a labour problem. For the sake of refugees, Committees are being organised and any amount of deliberation is carried, on but when a few more lakhs of rupees are asked for for Harijan scholarships, when a committee for the welfare of Harijans is asked for, or when a few questions for elucidation are put, you laugh, deride and jeer. Perhaps you consider the Harijan as unimportant in this *Ram Rajya*. Do not illtreat us. You have done so far long. For centuries, India has had the caste system. For centuries, untouchability has been perpetrated and foisted on us. For centuries, you have treated us as the lepers of society. The day may not be far when we ourselves will come into power. Let not our bitterness today make us treat you as the niggers and lepers of society. This caste-ridden society will not have its heyday for ever. See history. See what happened in Russia, China, Japan, France or England. "The old order changeth, yielding place to new," says a poet. (*Prof. D. C. Sharma*: Tennyson.) I am much obliged. The hon. Member is a Professor of English, but I want him to be a Professor of Sociology or Social Service. I want his help, not intellectual, but help from the heart. Gandhiji insisted on a change of heart. It is visible now, but the change is for the worse. Power has intoxicated the Congress. I was a Congressman once and went to jails. I need not repeat that. You should not abuse power and grind the poor man more and more. I am really sorry that neither the Prime Minister nor the Home Minister is here. Perhaps, they have been kindnapped by the capitalist forces outside.

Shri Nambiar (Mayuram): They are very busy outside.

Shri B. S. Murthy: I want the Government to bring forward a comprehensive legislation and fulfil its obligations and assurances. There must be legal assistance provided to Harijans to fight for their rights. In Madras, three pieces of legislation have been passed, *e.g.* temple entry, removal of social disabilities and one other. But all that is a dead letter. So, most of us forced that Government to give legal assistance to Harijans. Harijans are refused entry in schools, coffee hotels, cinema halls etc. The police will not register a case and the Harijan will not be able to file a suit Therefore, not only should legislation be brought forward, but legal assistance should be given to Harijans to fight for their social rights. I commend this Resolution. I hope it will meet with a better fate than other Resolutions. I think the fate of this Resolution will tell India and especially the Harijans whether or not

[Shri B. S. Murthy]

the Government are serious in fulfilling the promises they have made long ago and the assurances which Mahatma Gandhi has, with his life, given

Shri Namdhari: I think it is a sin against God to treat any human being less than on an equal status because in the eyes of the Almighty all persons are alike.

So far as Harijans are concerned I do not think anybody in the country has done better than Mahatmaji himself. I once came from Rawalpindi to recite a *Hari Kirtan* before Bapu and I asked: where is he staying? I was told: he is staying in the *bhangi* colony. I had the honour of reciting *Ram Nam* and *Hari Kirtan* before him. We should remember how much work has been done by him, temple entry and all that. I think as true Congressmen it is the duty of every one of us to follow in the footsteps of Bapu and to work in this cause. I appeal to the Government to accept this Resolution with full affection and I welcome this move to treat our brothers on an equal footing.

But I warn my Harijan brothers against those who want to make political capital out of this. I appeal to my Harijan friends that we are their own kith and kin. I know there are certain hon. Members of Parliament who are not Harijans, in the Congress Group, who have the honour of having married in Harijan families—what to talk of talking food with them and all that. We are practical people. It is only people who say that we have not done anything for the Harijans, who are the agents of some individuals or professional exploiters who want to make capital of this by poisoning the Harijan's mind. I would ask my Harijan brothers to be careful and not to fall into this trap which will be detrimental to their interests.

As far as the Backward Classes Commission is concerned, Government have acted wisely. It is not a Scheduled Castes Commission. It is a Backward Classes Commission. Still there are three Harijan Members there. They have to see to the interests of the whole backward classes, not only of the Scheduled Castes. My hon. friend should understand that this Backward Classes Commission is not a Scheduled Castes Commission. But still every sort of community is represented there.

I would like to honour my Opposition friends to the fullest capacity. I know some are very fine intellectuals. Some are very good actors, and all that. Now, the hon. Member said that when he speaks the Members do "*choo, choo*" like cats. I do not want to say that anybody behaves like a monkey or a cat. I would say that they are like angels and we will salute them. Whatever a man sees, it comes from out of his mouth. We have the fullest regard for them. I would request them that they must behave in a proper way according to the dignity of this Parliament. Outside they can say monkey, cat or anything. We do not mind. My submission is that the hon. Member should not have started with such remarks, though unintentionally.

So far as Harijans are concerned my submission is that, whether they are on the Congress benches or there, I know that in secular India we have the right of vote to every individual, Harijan or non-Harijan. There is no question of any step-motherly treatment being given to Harijans. Harijans should rest assured that Mahatma Gandhi's true disciple will be true to those ideals, that we will stand shoulder to shoulder with them and that the Government will do their best in the matter. But I would again warn them not to fall into the trap of professional exploiters or individual Harijans who only want to make political capital out of this.

Shri Nambiar: What about the Resolution?

Mr. Chairman: Shri Nanadas.

Shri Nanadas: Congress, as usual, boats of their services to the Harijans and I have seen in the book supplied by this Parliament—short biographies of the Members—every alternate Member has stated under "Special interests", Harijan unlift but one must wonder whether their actions are true to their preachings. I must say their actions belie their preachings and in this way the Congress, from the beginning, has been duping all my people for their political ends. There is no use shedding crocodile tears. You must speak from the bottom of your heart. I ask: "Are hon. Members of this House really sincere for the cause of the Harijans or they are speaking from their lips to gain their own ends?" This resolution is a standing truth to their failure and to their insincerity for the cause of the Harijans. A Congress Member has moved this Resolution in this House. In the Constitu-

tion (art. 17) the observance of untouchability has been abolished by law. That article is there. It is a dead letter there. What has been the Congress doing all these years? Why could not they bring about a comprehensive law to ameliorate the lot of the Harijans if they are really sincere in the cause of the Harijan uplift. What is the use of bringing in Gandhiji's name now and then? It is no use talking or bringing Gandhiji's name or anybody's name in. Your actions must prove that you are for the uplift of the Harijans. That is lacking. I thought the Congress Government was sincere but they are duping my people for their political ends.

Shri Balakrishnan (Erode—Reserved—Sch. Castes): I want to ask for a personal information from the hon. Member.

Mr. Chairman: No interruption.

Shri Nanadas: My people are not going to tolerate the injustice done to my community. We are young people among the Scheduled Castes and as Mr. B. S. Murthy said the volcano will burst and the only salvation for the Scheduled Castes people is by a revolution. It is not by a dictatorship of an individual, it is not by the dictatorship of a group of people, that the problem of Scheduled Caste can be solved. Only a working class dictatorship can solve the problem of Scheduled Castes.

We are not afraid of bad laws but we are afraid of all the bad people executing those laws. In this country, the majority of the executors of law, the Judges—all are caste Hindus, the so-called caste Hindus. It is Brahman dominated. It is a privileged class; service is the privilege of a certain class. As long as this secular Government tolerates this kind of Brahman domination, there cannot be any salvation for my people and so I request the Government that while appointing people to services, they must give due share to my community. I am not insinuating or criticising Brahmans as such. I am criticising the bad people among the Brahmans. There are good people among them who have fought for the cause of Harijans. I really appreciate their work

Shri Balakrishnan: Is your Communist Party working for the removal of untouchability?

Shri Nanadas: This country is ruled by village officers and *tehsildars*. Unless in these key posts the Harijans are placed, the Harijan problem cannot be solved. In the Madras State particularly, there are standing orders that waste lands must be given to Harijans. But, as a rule, the people who execute these laws, being caste Hindus, who are against the interests of the Scheduled Castes and Harijans, do not implement these laws. They are implementing these laws to their own interest at the expense of the Harijans. This traditional system of appointing village officers and *tehsildars* must be done away with. I am sorry, I have not finished even one point. You must give me sufficient time.

Mr. Chairman: The hon. Member must hurry up. He has two minutes more.

Shri Nanadas: Many States have passed Acts, Temple Entry Acts, Removal of Disabilities Acts. The Congress Government must stop all this nonsense at an early date. There is no use of speaking about Temple Entry Bills. The Harijans are not worried about temple entries. We are worried about our *'khana'*: we are worried about our food. You are not solving that problem. You are sidetracking the problem and are speaking nonsensical things in the name of Temple Entry Bill, Removal of Disabilities Bill, etc. You have no sincerity to implement these things even.

Some more points regarding marriages. This problem of untouchability cannot be solved unless you encourage inter-caste marriages. What has this Congress Government done all these six years in this? How many inter-caste marriages have taken place? How many *Congress-walas* have married Harijans? (*Interruption*). Why do you then speak all this rot and nonsense?

Shri Bogawat (Ahmednagar South): How many Mahar Harijans have given their daughters in marriage to Mang Harijans?

Shri Nanadas: True, the Hindu Code Bill has been introduced in this House What is the fate of the Hindu Code Bill? Who are against the Hindu Code Bill? The orthodox caste Hindus are against the Hindu Code Bill. Unless this privileged class is rooted out and deprived of all privileges, there is no salvation for this country. You cannot go on with the Hindu Code Bill when you are indirectly encouraging the orthodox privileged classes, Brahmins in the temples and landlords in the villages. You must abolish them. Then only you can solve the problem.

One more minute, Madam.

Mr. Chairman: No. Swami Ramanand Shastri.

Swami Ramanand Shastri *rose—*

Hon. Members: Come forward."आगे आ जाइये" *(Interruption).*

Mr. Chairman: I do not think you should give orders to him since I am in the Chair.

स्वामी रामानन्द शास्त्री (जिला उन्नाव व जिला रायबरेली—पश्चिम व जिला हरदोई—दक्षिण पूर्व—रक्षित—अनुसूचित जातियां), माननीया स्थानापन्न अध्यक्ष महोदया : यद्यपि आज मुझे बोलना नहीं था लेकिन चूंकि यह शुभ अवसर है और आज बहुत दिनों के बाद में हमको यह दिन देखने के लिये मिला है। आज हमारे भारत के मनुष्य करोड़ों की संख्या में मानवोचित अधिकारों से वंचित हैं और आज अस्पृश्यता निवारण के लिये जो प्रस्ताव आया है उसको हाउस बड़े हर्ष के साथ पास करने जा रहा है। मैं आपको वेद का प्रमाण देकर बतलाऊंगा कि यह चीज हमारी भारतीय संस्कृति के अन्दर बहुत प्राचीन नहीं है। हमारे बहुत से भाई धर्म की गवाही देते हैं और कहते हैं कि यह जाति पाति और यह छूआछूत वैदिक काल से है। अथर्व वेद में एक मन्त्र आता है :

समानी प्रभा सहवो अन्नपांग: समाने
योक्त्रे सहवो युनज्मि ।
सम्यञ्चोऽग्निं समर्यतारा• नाभि
मिवाभित: ।।

अ० कां० ३–सू–३०–मं–६

अथर्व वेद इस बात को कहता है कि संसार के मनुष्यों के लिये, प्रत्येक मनुष्य के लिये एक प्याऊ होना चाहिये। एक साथ मिल कर सब लोग रहें इस सृष्टि में प्रत्येक मानव मानवता के साथ बर्ताव करे।

संगच्छध्वं संवदध्वं सं वो मनांसि जानताम्।
देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते ।।

ऋग्वेद मं० १०–सू० १९०

यह ऋग्वेद का मंत्र है। इसमें कहा गया है कि सब एक साथ मिल कर विचार करो, एक साथ मिल कर बठो तुम्हारा एक मन हो, संसार में जितने भी मनुष्य हैं, इस भगवान् की, इस खुदा की सृष्टि में जितना भी मानव समाज है वह सब एक साथ मिल कर बैठे। यह प्राचीन काल में हमें मिलता है। लेकिन बीच के काल में एक ऐसे समाज के हाथ में हमारी सुरक्षा व्यवस्था की बागडोर आई जिन्होंने इस बात को कहा कि ब्रह्म वाक्यं जनार्दन। पहले तो ब्राह्मणों ने यह सूत्र दिया, इस के बाद उन्होंने दूसरा सूत्र बताया :

श्रवणाध्ययनार्थ प्रतिषेधात् स्मृतेश्च ।
(अथशूद्राधिकार ९– सू–३८।

शांकर भाष्य निर्णयसागर पृष्ठ १३६–१३८ तक देखो ।

"अथास्य वेदमुप श्रृण्वतस्त्रपुजतुभ्यां श्रोत्रपरिपूरणमिति" ।

आगे "वेदीच्चारणे जिह्वाच्छैदो धारणे शरीरभेद इति" ।

इसी सूत्र के आधार पर स्वामी शंकराचार्य ने जो संसार में अवतार माने जाते हैं, उन्होंने भी इस सूत्र की व्याख्या की वेदान्त दर्शन के अन्दर कि यदि शूद्र के कान में वेद पड़ जायें तो उसके कान के अन्दर सीसा डाला जाय और यदि वह वेद पढ़ जायें तो उनकी जिह्वा काट लेनी चाहिये।

Shri Nand Lal Sharma (Sikar): On a point of order. This quotation is misquoted from Shankaracharya. This has never been said by Shankaracharya.

Mr. Chairman: Let the hon. Member continue. If it is misquoted, well, it will be put down in the minutes as misquoted.

स्वामी रामनन्द शास्त्री: अभी हमारे शास्त्री जी ने कहा है कि यह उदाहरण शंकराचार्य का नहीं है। मुझे इस बात का दुःख है कि वह खुद ही शंकराचार्य के वेदान्त को पढ़ते हैं और ऐसी बात कहते हैं। यदि इस

सम्बन्ध में यहां पुस्तक वेदान्त की होती तो अभी बतला देता। इस समय मैं बहुत कहना नहीं चाहता, मनुस्मृति में, अध्याय ४— श्लोक ८— मनु जी ने भी यह कहा है :

"न शूद्राय मतिं दद्यान्नोच्छेष्टं न हविष्कृतम्।"

और इस प्रकार की बहुत सी बातें हैं। खैर।

वेद के अन्दर यह भी आया है :

"यथेमां वाचं कल्याणीमावदानि जन्मेभ्यः। शुद्राय चाशुय चारणाय च। इत्यादि वेद मन्त्र सर्वे अमृतस्य पुत्राः।"

भगवान् कहते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, आत्मज नौकर आदि, वेद पढ़ो। यह भी अक्सर कहा जाता है कि शूद्र यज्ञ कराने के अधिकारी नहीं हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि वेद में भी यह कहा गया है कि :

"तदस्य वाचः प्रथमं मंसीय येनासुरां अभि देवा असाम। उर्जाद उत यज्ञियासः पंचजना मम होत्रं जुषध्वम्॥

ऋग्वेद मं० १०—सुक्त ५३–४ मंत्र।

"व्याख्या पंचजना—गन्धर्वाः पितरो, देवा, असुरा रक्षासीत्येके चत्वारी वर्ण : निषाद पञ्चम पत्यौपमन्यवः।" जैसे यज्ञ इत्यादि कराने का अधिकार ब्राह्मण को है वैसे ही शूद्र और अति शूद्र, जो पांचवां अंग है, जो अस्प्रश्य माना जाता है, वह भी वैदिक क्रियाओं में, अर्थात् यज्ञ आदि में सहयोग दे सकता है, लकड़ी और पानी आदि ला कर। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाये तो ठीक है। यह हमारी प्राचीन चीज है और आज स्वतन्त्र भारत में हम इसी प्राचीन चीज को लाना चाहते हैं। इस का सब से बड़ा श्रेय मैं स्वर्गीय पूजनीय और वन्दनीय महात्मा गांधी जी को देता हूं। संसार में और भारतवर्ष में गुरु नानक और दूसरे बहुत बड़े बड़ महात्मा हुये हैं, उन्होंने भी इस छूआछूत को मिटाने के लिये लौकिक भाषा में बहुत से उपदेश दिये हैं, लेकिन उसको एक राष्ट्रीय रूप देना और उसके बाद स्वतन्त्र भारत में कानूनन इस चीज को हटाने का श्रेय इस वक्त की वर्तमान सरकार को ही है। यदि मैं देहात की वर्तमान स्थिति को आपके सामने रक्खूं तो बहुत समय लगेगा और मुझे इस का अनुभव है कि सब लोग इस को जानते हैं। वास्तव में, शहरों के अन्दर तो काफी छूआछूत मिट गई है, लेकिन देहातों की स्थिति बहुत खराब है। इतनी ही खराब है जैसे हमारे बारूपाल जी ने कहा था और पिछले सेशन में मैं ने भी कहा था। हमारे कन्हैया लाल जी बाल्मीकि ने तो कहा था कि नाई उन की हजामत नहीं बनाता है। अब मैं अपना भी उदाहरण देना चाहता हूं। दुर्भाग्य से कहिये या सौभाग्य से बचपन से मैं ने वेद पढ़े हैं। मैं बीड़ी नहीं पीता, पान तक नहीं खाता, लेकिन जो आदमी हड्डी चाट जाते हैं और मांस के लोथड़े के लोथड़े खा जाते हैं वह मुझ से छूत करते हैं क्योंकि मैं एक अमुक जाति में पैदा हुआ हूं। मैं तो उनकी छाया लेना भी पसन्द नहीं करता। यह रूढ़िवाद है जिसको बीच के काल में धर्म के ठेकेदार ब्राह्मणों ने पैदा किया है। उन्होंने इस प्रकार के अपने धर्म-ग्रन्थ लिखे हैं जिनके बारे में मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता। बात यह है कि यह चीज एक पार्टी ने पैदा की और वह पार्टी भारत वर्ष को एक गर्त में ले गयी और मानवता से परे ले गयी। मैं कुछ विशेष नहीं कहना चाहता हूं। मेरा सिर्फ एक मिनट रह गया है और उस एक मिनट में मुझे इतना ही कह देना है कि आप इस को हृदय से पास करें तथा अमल में भी लावें। यह छूतछात गांवों में बहुत ज्यादा है। आपको कड़ाई से काम लेना चाहिये। अगर आप केवल पुलिस पर छोड़ देंगे तो पुलिस रिश्वत लेकर छोड़ देगी। मेरा मतलब तो यह है कि भारतवर्ष

[स्वामी रामानन्द शास्त्री]

में मनुष्य मनुष्य के साथ मानवता का बर्ताव करें और इस प्रकार जो यह हिन्दू जाति का कोढ़ है छूतछात के रूप में, यह जो अस्पृश्यता-रूपी महान् कलंक है उसको जब तक आप अविलम्ब नहीं हटायेंगे और जब तक आप इस कोढ़ को समाजरूपी शरीर से आपरेशन द्वारा शीघ्रता से नहीं हटायेंगे तब तक आप की पंचवर्षीय योजना भी सफल नहीं होगी। पंचवर्षीय योजना के लिये करोड़ों रुपया रखा गया है लेकिन इस छूतछात को दूर करने के लिये इस से आधा रुपया भी नहीं रखा गया है। एक ओर हरिजन लोग करोड़ों की सख्या में बेकार हैं और दूसरी ओर आप अरबों रुपये की बड़ी बड़ी मशीनरी खरीद रहे हैं। इस चीज़ पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है, इससे मुझे मालूम होता है कि कांग्रेस में भी कुछ पक्षपात है। मुझे आशा है कि सरकार इस चीज़ पर ध्यान देगी और जो बेकारी फैली हुई है और यह जो छूतछात का मसला है यह वास्तव में आर्थिक मसला है। यदि यह हमारा आर्थिक मसला हल हो जाता है तो हम छूतछात के मसले को भी हल कर सकते हैं। इन शब्दों के साथ मैं अपना स्थान लेता हूं और अध्यक्षा महोदया को धन्यवाद देता हूं।

Shri Bahadur Singh (Ferozepur-Ludhiana—Reserved—Sch. Castes): The speaker from the Congress side (*Interruption*). Excuse me....

Mr. Chairman: Order, order. Let the hon. Member continue.

Shri Bahadur Singh: The hon. Member from the Congress side—who is not there, who is not so small as not to be seen, who is quite a big personality—Shri Namdhari, talked something about the behaviour and conduct, and some statements made by Mr. P. N. Rajabhoj, but anybody who saw him speaking can well understand how he behaved. It is true that he does not belong to the Scheduled Castes. It is true that he is a big landlord, and it is also true that it is his main profession to exploit the backward classes. But he talked in a somewhat humanitarian way. That is all hypocrisy, which I hate.

Regarding this Resolution, I may say that it serves no purpose, if Resolutions are passed, and even if legislation is passed, unless we are sincere about them, and implement them in the proper way, it is no use putting such legislation on the Statute Book. It seems that the Government are not sincere about banishing untouchability from this country. So many years have passed. Had the Government been sincere about removing untouchability from this country, it would have come with such legislation much earlier. This shows how eager, how keen the Government is in removing untouchability and improving the economic condition of the Scheduled Castes and other backward classes in this country! No doubt, I am in favour of passing such a Resolution. Let us hope that at some time the Government may think it proper to implement it because the situation in this country is such that it is just like a volcano and it may erupt at any time, as Mr. Murthy has said.

I want to say another thing. There is a set of people in this country in whose brain and mind the very notion of untouchability is deep-rooted. Some kind of a diagnosis is needed to remove that. I would request the Home Minister to look into this so that by social organizations and other means we may be able to remove such deep-rooted notions from the minds of these people. It is no good citing some instances regarding untouchability as it prevails in this country. About three or four months ago in Gwalior some Scheduled Caste persons were killed, their houses were looted and burnt. Such things are happening in this country. I do not want to take much time of the House and go on citing such instances, because everybody knows about them. But I would beg of the Home Minister that this legislation should be passed and it should be made effective. It should be implemented in a proper way. It would be better if we banish untouchability at the earliest and if we are able to raise the economic standards of the Scheduled Castes.

Shri Elayaperumal (Cuddalore—Reserved—Sch. Castes): I rise to support this Resolution. It is a very important Resolution, not for the Scheduled caste people only but for the whole people of India.

I want to point out some instances of how the caste-Hindus treat the Scheduled Castes in South Madras. The Harijans are not allowed to take water from the public wells or tanks in villages of South Madras State. Not only that, but in some villages the Harijans and Scheduled Caste people are not allowed to wear shirts and shoes. And in some villages they were not allowed to enter the caste Hindu streets also. In the year 1950 in Chidambaram *taluk*, Ellannangore village, Scheduled Castes people were ordered not to wear full shirts and white *dhoties*. At that time the Harijans refused to obey the order. On that account, two Harijans named Tirupathi and Samahanna were murdered by the Caste Hindus. An inquiry was made by the police officer, but no one came forward to give evidence. The accused were acquitted, and it is a cognizable case. Article 17 of the Constitution says that untouchability is abolished. But it exists everywhere in India—not only in the South but in the North also. Some days ago we, some Members of Parliament, went to a village named Nilothi to inquire into the conditions of the Scheduled Castes people. There one Scheduled Caste woman told us that they were not allowed to take water from the public tank or well. In the year 1950 in Vridhachalam *taluk* and Cuddalore *taluk* in Kullakkudy village Harijans were not allowed to wear full-sleeved shirts. In the year 1948, in Chidambaram *taluk*, in Puliyangudi village, the Harijans were ordered not to have moustaches on their faces, because they were Harijans. They did not obey. It may wonder in this House but it is true. A case was registered and no one was there to come forward and give evidence. So, the accused were acquitted. Not only that but compromise was made by R.D.O. One Harijan Vadamatai who is now working in the military, when he refused, was tied to a tree with ropes and was beaten by the whole villagers. I do not want to take much time of the House. The Schedued Castes form one-sixth of the population of India. Their children are not allowed to attend schools in some villages. There is no use in making laws unless they are enforced. So, I request all the hon. Members of this House to support this Resolution and it must be enforced. I request the Home Minister also to do the needful for the people of the scheduled castes.

Shri Veeraswamy (Mayuram—Reserved—Sch. Castes): Madam, I thank you very much for having called upon me to speak on this important occasion. It is really a misfortune that the Prime Minister of India is not an Abraham Lincoln, or a Stalin, or a Mao Tse Tung or a Kemal Pasha or a Periyar E. V. Ramaswamy. Pandit Jawaharlal Nehru has been the Prime Minister of India for the past six years and he has been the head of the Congress Party which has been in power. The Congress Party has been in existence for the past 65 years and more. It has outlived its purpose and it is too old to live. The Congress Party, as I said last time, is the most reactionary party not only in this country but also in the whole world.

An Hon. Member: What about your party?

Shri Veeraswamy: It cannot at any time abolish any evils or ills such as untouchability or casteism in this country, because the Congress Party has been dominated by Brahmins and orthodox caste Hindus. The Congress Party has failed to eradicate untouchability from the face of this country. As I said, it has been dominated by the Brahmins and caste Hindus, who are not at all interested in the welfare of the Scheduled Castes and who are not at all interested in the annihilation of castes or in the abolition of untouchability. Because Dr. Ambedkar, the leader of eight crores of Scheduled Castes was the Chairman of the Indian Constitution Drafting Committee, in the Indian Constitution we have the clause on the abolition of untouchability and observance of it is forbidden. But the Government has not seen to it that this is put into operation throughout this country. Mahatma Gandhi said in 1938—if I remember aright, and I do hope many of the Members of this House would remember—that untouchability would be abolished as soon as India got freedom. Mahatma Gandhi said: if independence came to India at twelve o' clock, then untouchability would be abolished at one o' clock. What has the Congress Party done to abolish untouchability?

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

1 P.M.

If the Congress Party is really interested in the abolition of untouchability, it should do certain things. For instance, it should abolish all castes. There should be no Brahmins, no Adidravidas or Scheduled Castes. There should be no other intermediary high caste Hindus. There should be no *cheri* in this country. The place where scheduled castes live is called a *cheri* and the place where Brahmins live is called an *agraharam*. Why is there this

[Shri Veeraswamy]

difference? We say that after partition, the Muslims have gone to Pakistan, but in the six lakh villages of India we have Brahministans. Brahmins live separately from others. The Scheduled Castes cannot enter their streets. They cannot step into their houses. Even pigs and cattle can, but not the Scheduled Castes, who have been the backbone of this country. Why should there be this untouchability existing even after several years of independence? We are told that the economic condition of the people has improved and people are living happily. One Member on that side said that with a stroke of the pen, the Congress has abolished untouchability. I ask him: Where has it been abolished? Has it been abolished in his village?

And then, land reforms should be carried out. Otherwise, the economic problem of the Scheduled Castes is not going to be solved. Then, intermarriage should be encouraged. Not only that. A law should be brought for such marriages. Without inter-marriage, the caste system will not go.

Mr. Deputy-Speaker: Should there be punishment if nobody intermarries?

Shri Veeraswamy: We must mete out punishment to those who do not obey the law of the land. Mr. Nanadas said that we are not interested in temple entry, but we want economic improvement. Temple entry was first introduced in Madras. Some of the big temples were thrown open, but as soon as the Ministers left the temple after opening ceremony, the doors were shut to the Scheduled Castes. Even now, the Scheduled Castes are prohibited from entering the temples and worshipping the so-called gods and goddesses and perform *pujas* to them. As many of the hon. Members from the South know, the Dravidian Federation has been doing a lot of work for the eradication of untouchability in that part of the country. If the Congress Party can join hands with it and take the help of Periyar, E. V. Ramaswamy, I can boldly say that untouchability can be removed, as Mahatma Gandhi said, within one hour in Madras State.

Mr. Deputy-Speaker: He must conclude now.

Shri Veeraswamy: I shall finish now, Sir. A revolution is bound to come one day or other in this country. It must come. By revolution, I mean no revolution by violence no destruction of property or killing of persons, but a revolution in thought, in action and in everything else.

Dr. Jatav-vir (Bharatpur-Sawai Madhopur—Reserved—Sch. Castes): And in matrimony.

Shri Veeraswamy: A revolution is bound to come and the existing social order will be completely changed, as Dr. Ambedkar has said. My only request to the Government is to carry out now at least the constitutional provisions regarding the economic problems and social conditions of the Scheduled Castes.

The Deputy Minister of Home Affairs (Shri Datar): We had a very long and exhaustive discussion. (*Hon. Members*: No. no.) Unfortunately some Members of the Opposition indulged in certain expressions which are far from true and which are almost unparliamentary. It was extremely unfortunate that certain allegations and charges were made to the effect that the Congress had not done anything at all so far as the eradication of untouchability was concerned. I may point out here that during the last six or seven years...

श्रीमती मिनीमाता : मंत्री महोदय, कृपा कर के हिन्दी में बोलिये ।

श्री दातार : हिन्दी मुझे अच्छी नहीं आती है इसलिये मुझे उस के लिये क्षमा किया जाये । मैं उस में ठीक तरह अपने को एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगा ।

It was therefore entirely wrong on the part of Members opposite to have stated that the Congress had not done anything so far as the removal of untouchability was concerned. I may point out here that for the first time when the Congress came into power in the States in 1936, ameliorative as also legislative measures were undertaken in all the various Provinces. And I shall point out to you, Sir, that in a number of States today we have got Acts which have dealt with this very question in the way in which it is contemplated by the Members opposite. A number of Acts have been passed and in most of the Acts the offence of untouchability is a cognizable offence. It was contemplated by some that our progress was slow. The progress is bound to be slow, because the problem is a centuries old problem. For the last five thou-

sand years the problem has been facing us. And thanks to India and thanks to humanity. Gandhiji took up this question and we are solving this question in as expeditious a way as possible. Therefore it would not be right to say that the Governments either at the Centre or in the Provinces have not done anything at all.

In the course of their remarks so far as the main question was concerned.....

Shri P. N. Rajabhoj: Is it coming in the action?

Mr. Deputy-Speaker: Let him proceed. The hon. Member says it is not coming in action and he says it is coming in action.

Shri Datar: .....certain irrelevant statements were made and I have to make reference to them only for the purpose of removing the misapprehensions. In the course of his speech the hon. Member Mr. Rajabhoj stated something which is entirely wrong, which had absolutely nothing to do with this.....

श्री पी० एन० राजभोज : क्या बोला, मझे बताइये ।

Mr. Deputy-Speaker: Order, order. I will not allow the hon. Member to interrupt like that. Evidently he has spoken already. Is it not open to the Minister to say 'the hon. Member said this and it is not true'—the explanation, and so on? Otherwise, he need not have spoken, for in that case he would not have referred to him at all. If the hon. Member objects to it I shall note it for the future and not call upon the hon. Member to speak.

श्री पी० एन० राजभोज : मैं बोला हूं और मुझे उस का जवाब मांगने का अधिकार है ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप को अधिकार नहीं है ।

Shri Datar: It had absolutely nothing to do, so far as the present discussion was concerned, to bring in the Backward Classes Commission and to make certain unwarranted remarks so far as the Chairman or the hon. Member of that Commission and the hon. Member of this House is concerned. The country is extremely happy in having Shri Kaka Kalelkar as the Chairman of this Commission (*Shri P. N. Rajabhoj*: No.) I know that my friend Mr. Namdhari and others said that the choice has been excellent, it has been received very well and the Backward Classes Commission are already doing their work.....

Shri P. N. Rajabhaj: Kaka Kalelkar is a Brahmin.

Shri Datar: They are already carrying on their work which is extremely promising and therefore, it was wrong on the part of these Members to have belittled what the Congress has done and to have imported into the discussion certain irrelevant and highly extraneous matters.

Shri P. N. Rajabhoj: No.

Shri Datar: Coming back to the main question. I am happy to inform this House that the Government are accepting this Resolution as amended by the amendment of Shri Das. It is true that this Resolution has been rather widely worded. There are certain expressions which have not been properly explained by the hon. Mover of this Resolution and therefore keeping to ourselves the right to have a proper Act, I here accept the Resolution and I tell the House that this Parliament as also the various State Governments are carrying on their work already on these lines.

Then a statement was made that there were no Acts and that wherever there were Acts, they were not properly worked. So far as this question is concerned, I should like to inform the House that Untouchability Acts have been passed after 1937 in almost all the States except three where the problem is not keen.

Dr. M. M. Das (Burdwan—Reseved —Sch. Castes): What has been the progress made?

Shri Datar: I may point out that. You allow me to speak.

Mr. Deputy-Speaker: Let the Minister say what he has to say.

Shri Datar: There are no statutes relating to disabilities of untouchables in Assam, Pepsu, Rajasthan, Manipur and Andaman Islands and there, we are informed, the question is not very keen at all.

An Hon. Member: What about Manipur?

Shri Datar: Of these, Assam, Manipur and Andaman Islands have reported that untouchability as a problem is not existing in these States at all.

An Hon. Member: Rajasthan?

Shri Datar: In Rajasthan it does. I am coming to that shortly. Now, as a result of these Acts, which have been passed in various States, I may point out to the House that proper steps are being taken to see.....

An Hon. Member: No, no.

Shri Datar:.....that the provisions,—the penal provisions of the Act—are being enforced.

Then we have also to take into account one very important circumstance. It is unfortunately true that untouchability was in India for nearly 4,000 or 5,000 years and it has numerous aspects of a very ghastly nature. But untouchability has to be removed by private effort and I think also by legislation, only to a small extent. Social reform has to be obtained, has to be enforced through legislation but that too only to a small extent and wherever it is necessary, the present popular Governments are prepared to carry on, are prepared to take steps. In fact I may inform this House that steps have already been taken by us to have the principle laid down so far as the proposed all-India legislation is concerned and after taking legal advice of the Law Ministry, we are going to draft a Bill and send that Bill for the opinion of all the State Governments. This is a matter which concerns States most because ultimately it is they who have to carry on the work. Therefore, after taking in the information, after consulting all the States, we shall bring before the Parliament, before this august House, a Bill which will deal, on an all-India basis, with all aspects, penal and otherwise, so far as removal of untouchability by enactment is concerned. Therefore, I am happy to inform the House that we accept the principle of this Resolution.

Shri P. N. Rajabhoj: Next year?

Shri Datar: So far as the time limit is concerned, it depends upon the way in which the State Governments send down their replies to us. I think we will be able to do it this year at the latest, if possible in the July Session. If not, at least in the November Session, we shall bring forward this Bill and show to our friends that the Government has been extremely keen on the removal of untouchability in all its forms as laid down in the Indian Constitution. I myself will not be satisfied merely by getting this Bill sponsored here, and getting this Bill enacted in this House. Because, ultimately we require the co-operation of all the citizens of India. Certain provisions have been laid down which deal with the disabilities of these unfortunate brethren of ours. These legal disabilities have to be removed. But, ultimately, we have to depend upon the co-operation of all the people concerned. Here, I should like to appeal to the whole House to treat this question with the greatest amount of sincerity. I should like to point out to my young friend, the hon. Member who brought in certain ideas about communal and other things, that he can work for the amelioration of the untouchables without necessarily allowing his mind to be embittered in the way that, unfortunately, he has done. Ultimately, this is a question which is absolutely non-controversial. This is a question in which you and I shall always co-operate, and the effect of this co-operation would be the complete removal of all the disabilities as early as possible, and placing the untouchables or Scheduled Castes on the same footing as others.

So far as the last question is concerned, you will also agree that there are certain problems which are common to all of us. Reference was made to the Backward Classes Commission. I was surprised to find that the number of backward class people is as large as 15 crores. That is a measure of our shame. Therefore, unless all the 35 crores of Indians come up to the same level of social justice, same level of economic justice, India as such can have no future at all. Therefore, I request the Scheduled Caste Members and the workers among Scheduled Castes to take into account these other aspects also which are more important, though this aspect also requires consideration.

Therefore, with the blessings of all of you, we desire to pilot this Bill as early as possible in this House and we hope that it will have extremely beneficial effects and would go a great way in placing the Scheduled Castes on the same footing in all respects as the non-scheduled castes.

Mr. Deputy-Speaker: I shall put Mr. Das's amendment to the House. The question is:

That for the original Resolution, the following be substituted:

"This House is of opinion that a comprehensive law should soon be enacted to ensure that the practice of untouchability and

the resultant disabilities are removed immediately leading to equal social status of all the citizens and bringing the offenders in this respect to book in an expeditious manner."

The motion was adopted.

Mr. Deputy-Speaker: This stands for the original Resolution. The House will now stand adjourned to meet again at 8-15 tomorrow.

The House then adjourned till a Quarter Past Eight of the Clock on Saturday, the 18th April, 1953.